"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2022—भाद्रपद 04, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2022

क्रमांक ई 1-03/2021/एक-2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2021-AIS(I)-B, दिनांक 27-05-2022 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित पद

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अरविन्द कुमार एक्का	27-05-2022	अपर कलेक्टर, दुर्ग
2.	श्रीमती लीना कमलेश मंडावी	27-05-2022	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बेमेतरा
3.	सुश्री संतन देवी जांगड़े	27-05-2022	उपायुक्त (रा.), सरगुजा संभाग, अंबिकापुर
4.	डॉ. संजय कन्नौजे	27-05-2022	अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा
5.	श्री सुखनाथ अहिरवार	27-05-2022	अपर कलेक्टर, कोरिया
6.	श्री भगवान सिंह उइके	27-05-2022	अपर कलेक्टर, कबीरधाम
7.	श्रीमती पद्मिनी भोई साहू	27-05-2022	अपर कलेक्टर, दुर्ग

2. सुश्री संतन देवी जांगड़े की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति दिनांक 27-05-2022 से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत उपायुक्त (रा.), सरगुजा संभाग, अंबिकापुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 मई 2022

छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति-2022

क्रमांक 2528/195/जसं./तशा/अ.वि./डी-4/01.—राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से "छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति-2022" निम्नानुसार घोषित करता है :—

1. **प्रस्तावना :—** आधुनिक समय में राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सिंचाई, ऊर्जा, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण तथा सुरक्षित पेय जल प्रदाय में उन्नति हेतु जल प्रबंधन चुनौतिपूर्ण है. जल, छत्तीसगढ़ राज्य का बहुमूल्य संसाधन है. प्रदेश की लगभग 80% आबादी कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों पर अपनी जीविका के लिये निर्भर है. प्रदेश में कृषि भी अधिकांशतः वर्षा पर आश्रित है, अतः राज्य के विकास हेतु जल संपदा का प्रभावी तथा दक्ष (Efficient) दोहन आवश्यक है. यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य में जल संपदा का अथाह भंडार है, परन्तु इसका समुचित दोहन अभी नहीं हुआ है. पिछले अनेक वर्षों से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण न केवल अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका, बल्कि पूर्ण योजनाओं के संधारण हेतु भी प्रभावी व्यवस्था नहीं की जा सकी है. 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन ने प्रदेश में जल संसाधनों के सुनियोजित विकास हेतु एक अवसर प्रदान किया है. प्रदेश के आर्थिक विकास में जल संसाधनों के विकास की महत्वपूर्ण भूमि को देखते हुए एक प्रभावी एवं व्यवहारिक "जल संसाधन विकास नीति" अत्यंत आवश्यक है.

1.1 **राज्य जल संसाधन विकास नीति की आवश्यकता :—**

1.1.1 तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं उद्योग, जल भंडारण का अति दोहन, अव्यवस्थित शहरी विकास तथा अनियंत्रित प्रदूषण कुछ ऐसे विषयों में से हैं, जिन पर जल क्षेत्रों की चुनौतियों की पूर्ति हेतु पर्याप्त ध्यान दिया जाना है. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के निर्धारण के बीच अधिक असमानता को हटाने की आवश्यकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित मल-जल निकास व्यवस्था के साथ जल आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाने हैं.

1.1.2 नई अधोसंरचना के विकास, विद्यमान अधोसंरचना के संचालन एवं संधारण संबंधी अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं तथा प्रदूषणजनक संसाधन, अतिदोहन एवं योजनाहीन विकास से बढ़ते खतरे हैं, जो बाढ़ तथा सूखा जैसे वर्तमान जलवायु खतरों का स्तर बढ़ा रहे हैं.

1.1.3 भूमि में जल ठहराव, जल का क्षारीय होना तथा जल में विषैले तत्वों का बढ़ता स्तर गंभीर चिंता का विषय है. जल क्षेत्र योजना तथा जल प्रबंधन हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने का सुअवसर है. भूजल के लिए गुणवत्ता को बनाए रखना और इसमें सुधार और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं. चूंकि प्रदुषित भू-जल को पुन: स्वच्छ बनाना अत्यंत कठिन है, अत: यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि, औद्योगिक बहि:स्राव स्थानीय भंडारण, उर्वरकों एवं रसायनों के अवशेष आदि भूजल तक न पहुंचे.

1.1.4 सूखे की समस्या, पेयजल की मांग तथा हरित क्रांति के आरंभ होने के फलस्वरूप जल की बढ़ती आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में भूजल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है.

1.1.5 बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन, तटबंध निर्माण जैसे-बाढ़ नियंत्रण कार्य, योजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण, वनों की सुरक्षा एवं वन क्षेत्रों का विस्तार, जल संग्रहण योजनाओं में बेहतर बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ से जनधन की न्यूनतम हानि हेतु बाढ़ की भविष्यवाणी एवं समय रहते चेतावनी हेतु तंत्र की स्थापना हेतु योजना की आवश्यकता है.

1.1.6 खाद्य सुरक्षा, जीविका तथा सभी के लिए समान और निरंतर विकास हेतु राज्य द्वारा सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के तहत जल का प्रबंधन सामुदायिक संसाधन के रूप में किए जाने की आवश्यकता है.

1.1.7 इस तथ्य को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है कि, विकसित देशों में जल क्षेत्र की क्षेत्रीय पद्धतियों में सूचना प्रौद्योगिकी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं में प्रगति द्वारा क्रांति आई है. अत: निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी स्तरों पर जल आयोजकों और प्रबंधकों हेतु एक पुन: प्रशिक्षण एवं उत्तम सुधार कार्यक्रम, जल की मांग तथा उपयोग, कई क्षेत्रों से संबंधित होती है तथा विभिन्न स्तरों पर इसका नियंत्रण प्रारंभ करने की आवश्यकता है.

2. **वर्तमान परिदृश्य :—** छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां 80% से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है. राज्य का लगभग 44% क्षेत्र वनाच्छादित है तथा आबादी का लगभग 32% आदिवासी है. प्रदेश में वर्ष 2011 की स्थिति में लगभग 18.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा चुका है, जबकि वास्तविक सिंचाई लगभग 11.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो रही है प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्र 56.83 लाख हेक्टेयर है तथा निर्मित सिंचाई 31.83% है, जो राष्ट्रीय औसत 48.90% से काफी कम है. वर्तमान में कुल 07 वृहद सिंचाई परियोजनायें, 33 मध्यम सिंचाई परियोजनायें तथा 2335 लघु सिंचाई योजनाओं में प्रमुख योजनायें मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना, राजीव समोदा योजना फेस-II, सोंढूर परियोजना, केलो परियोजना, कोसारटेडा परियोजना, कर्रानाला बैराज आदि हैं. प्रदेश की प्रमुख नदियां महानदी, शिवनाथ, हसदेव तथा इन्द्रावती हैं. प्रदेश के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जल संसाधनों का विकास ही प्रदेश के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंजी है.

3. **उद्देश्य :—** जल संसाधनों का विकास प्रमुखत: पेयजल, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. जल संसाधनों के विकास में व्यापक निवेश हुआ है, किन्तु सामाजिक-आर्थिक कारणों से इस निवेश पर लाभ (Return) अत्यंत कम है. जल संसाधनों के विकास हेतु बांधों के निर्माण से डूब में आने वाले क्षेत्रों के वन तथा ग्रामवासी भी प्रभावित होते हैं, अत: डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम वासियों का प्रभावी पुनर्वास भी अत्यन्त आवश्यक है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की "जल संसाधन विकास नीति" के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :—

3.1 जल संसाधनों का विकास सुनियोजित प्रकार से करना है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल (Sustainable) हो. जल स्रोतों (जैसे-नदियां, झीलें, जलाशय, तालाब, आदि) और जल निकास मार्गों (सिंचित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जल निकास) का अतिक्रमण एवं अन्य उपयोगों में नहीं होने देना है और जहां भी ऐसा हुआ है, इसे व्यवहार्य सीमा तक पुन:स्थापित एवं उचित अनुरक्षण किया जाना है.

3.2 सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा वृष्टिछाया क्षेत्रों (Rainshadow areas) में जल संसाधनों के विकास के तकनीकी दृष्टि से साध्य हर संभव प्रयास हो. सूखे से निपटने के लिए विभिन्न कृषि कार्यनीतियों को विकसित करने तथा मृदा एवं जल उत्पादकता में सुधार करने के लिए स्थानीय, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्थानों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर भूमि, मृदा ऊर्जा एवं जल प्रबंधन करना.

3.3 पेयजल एवं कृषि हेतु आवश्यक जल ऐसी व्यवहारिक दरों पर उपलब्ध कराना, जिससे कम से कम संधारण व्यय की पूर्ति हो सके.

(3.3.1) उद्योगों को जल प्रदाय हेतु अधोसंरचना निर्माण, आवेदक संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल के परिप्रेक्ष्य में राजस्व अग्रिम राशि शासन को जमा करने के उपरांत किया जाएगा. आवेदक संस्थानों द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन उनको प्रदाय की गई जल मात्रा के अनुरूप जलकर के रूप किया जाएगा.

3.4 जल संसाधनों के विकास एवं संधारण में जल उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना. जल उपभोक्ता संस्थाओं को जल शुल्क एकत्रित करने एवं एक निर्धारित हिस्सा रखने, उन्हें आबंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने और उनके अधिकार क्षेत्र में वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए वैधानिक शक्तियां दिया जाना.

3.5 संपूर्ण जनसंख्या में जल के विभिन्न उपयोग/उपभोक्ताओं हेतु समुचित संस्थागत एवं कानूनी ढांचे के तहत् जल प्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित् करना.

3.6 **जल प्रबंधन एवं गुणवत्ता में सुधार के उपाय—**

3.6.1 जल संसाधन योजना, उनमें वृद्धि तथा उनके रचनात्मक उपयोग हेतु नीति तंत्र के विकास के लिये संबंधित सभी संस्थाओं/संगठनों के एकीकृत एवं सहयोगात्मक प्रयास द्वारा.

3.6.2 राज्य के जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन में उपयोगकर्ताओं की प्रभावी भागीदारी द्वारा.

3.6.3 अधोसंरचना, सेवाओं एवं उपयोग की गुणवत्ता के मानकों के निर्धारण से जल की उत्पादकता में वृद्धि द्वारा.

3.6.4 जलवायु/मौसम के संकटों को न्यून करते हुए वर्षा आधारित कृषि उत्पादन में विकास द्वारा.

3.7 **सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार के उपाय—**

3.7.1 वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं की सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग के द्वारा.

3.7.2 सिंचाई परियोजनाओं की निर्मित क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के बीच के अंतर को, परियोजनाओं की कुशलता में वृद्धि द्वारा कम करने से.

3.8 **पर्यावरण संतुलन एवं इसे बनाये रखने के उपाय—**

3.8.1 जल अधोसंरचना उपयोग एवं कूड़ा करकट फेंकने के प्रबंध संबंधी मानकों के नियमित पालन पर बल देकर जल संग्रहण संरचनाओं तथा आर्द्र भूमि के संरक्षण तथा सुरक्षा से.

3.8.2 जल संग्रहण संरचनाओं के चारों ओर की भूमि के नियमबद्ध उपयोग से.

3.8.3 औद्योगिक जल निस्तार प्रवाह तथा दूषित जल के पुन: उपयोग हेतु शुद्धिकरण पर बल देने से. शहरों में रसोई ओर स्नानागारों से बहिस्राव जल को, प्राथमिक उपचार के पश्चात् प्रसाधनों की सफाई के लिए पुन: इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने से.

4. **जल संसाधन विकास नीति के अंग—** जल संसाधन विकास हेतु राज्य शासन की नीति के प्रमुख अंग निम्न है :—

4.1 जल संसाधनों की आयोजना (Water Resources Planning)
4.2 जल संसाधनों का विकास (Water Resources Development)
4.3 जल संसाधनों का प्रबंधन (Water Resources Management)
4.4 जल दरों का युक्तियुक्त करण (Rationalization of Water Rates)
4.5 जल संरक्षण (Water Conservation)

4.1 **जल संसाधनों की आयोजना (Water Resources Planning)** —राज्य की वर्तमान एवं भविष्य के लिये जल आवश्यकता की पूर्ति हेतु जल संसाधनों की आयोजना के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :—

4.1.1 राज्य में सतही एवं भूजल की मात्रा का आंकलन किया जायेगा तथा उसकी उपलब्धता के आधार पर एक समन्वित "जल संसाधन विकास मास्टर प्लान" तैयार किया जायेगा.

4.1.2 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की योजना तैयार करते समय पेयजल तथा सिंचाई के साथ उद्योग तथा विद्युत उत्पादन के लिये जल की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाये.

4.1.3 जल संसाधनों के उपयोग में राज्य शासन पेयजल तथा कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा.

4.1.4 लघु सिंचाई योजनाओं की आयोजना के समय कृषकों तथा स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित् की जायेगी.

4.1.5 सतही एवं भूजल के समन्वित उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उपलब्ध भूजल का वैज्ञानिक पद्धति से समय-समय पर आंकलन किया जायेगा.

4.1.6 भूजल के दोहन को संतुलित बनाये रखने हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाये जायेंगे.

4.1.7 उपग्रह चित्रण और जीआईएस तकनीक, जल संसाधन योजना के साथ ही जल संसाधन प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जावेगी.

4.2 **जल संसाधनों का विकास (Water Resources Development)** —प्रदेश के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये राज्य शासन जल संसाधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. प्रदेश में जल संसाधनों के विकास हेतु निम्नानुसार रणनीति अपनाई जाएगी :—

4.2.1 निर्माणाधीन योजनाओं को उनकी प्रगति के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी. इसके लिये राज्य के बजट के अलावा नाबार्ड, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धन राशि जुटाने का प्रयास किया जायेगा.

4.2.2 नवीन योजनाओं में होने वाले अधिक व्यय को देखते हुए जल संसाधनों के विकास में निजी निवेश का स्वागत किया जाएगा.

4.2.3 नवीन योजनायें, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस प्रकार ली जायेंगी, ताकि वे निश्चित समयावधि में पूर्ण की जाकर लाभ देने लगे.

4.2.4 नवीन योजनायें लेते समय क्षेत्रीय असंतुलन का भी ध्यान रखा जायेगा.

4.2.5 नवीन योजनाओं को लेते समय विस्थापितों के पुनर्वास एवं पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता दी जायेगी तथा पुनर्वास पैकेज आकर्षक बनाया जाएगा. परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित होने वाली भूमि के मुआवजे की राशि के भी शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जायेगी. पुनर्वास तथा पुनर्बसाहट की प्रक्रिया में परियोजना से प्रभावितों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जायेगी.

4.2.6 सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा दृष्टि छाया क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे.

4.2.7 राज्य शासन ऐसी सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा, जिनका रखरखाव व संधारण का दायित्व लेने हेतु उपभोक्ता सहमत हो.

4.2.8 जल की हिस्सेदारी के संबंध में अंतर्राज्यीय, अंतरक्षेत्रीय विवादों के कारण, बेसिन/उप बेसिन आधार पर विज्ञान आधारित योजना के माध्यम से जल के अनुकूलतम उपयोग में बाधा आती है. अत: जल विवादों को यथासंभव परस्पर बातचीत के जरिये शीघ्रातिशीघ्र सुलझाने का प्रयास किया जायेगा.

4.2.9 परियोजना विकास में सांस्कृतिक धरोहरों को भी पर्याप्त सुरक्षा दी जावेगी.

4.2.10 परियोजना के विकास में पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण सहित जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार एवं प्रबंधन तथा भूजल एवं सतही जल को बनाये रखना, शामिल किया जावेगा.

4.3 **जल संसाधनों का प्रबंधन (Water Resources Management)** —उपयोग योग्य जल संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने की सीमाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपूर्ति में बढ़ती विषमता को देखते हुए भविष्य में जल की मांग को पूरा करना मांग प्रबंधन पर ज्यादा निर्भर करेगा, इसलिए इसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर (क) एक कृषि प्रणाली विकसित करके जिससे जल के उपयोग में मितव्ययता एवं जल से अधिकतम लाभ मिले और (ख) जल के उपयोग में अधिकतम कुशलता लाकर एवं अपव्यय को रोक कर. निर्मित योजनाओं के समुचित रख-रखाव को पूर्व में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दिये जाने के कारण विशाल जल संग्रहण वाले बांधों एवं नहरों की पूर्ण क्षमता का उपयोग संभव नहीं हो सका है. निर्मित योजनाओं के बेहतर संधारण तथा नहरों के विस्तार से कम खर्च में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त की जा सकती है. वर्तमान में सिंचाई परियोजनाओं से, नहरों के माध्यम से नियंत्रित सिंचाई किया जाना संभव नहीं होता, एक कुलापा (Outlet) से लगभग 200-250 एकड़ में खेत से खेत सिंचाई पानी देने की व्यवस्था है. इससे एक ओर पानी का अपव्यय होता है, दूसरी ओर कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें लेना संभव नहीं होता, अतः सिंचाई नाली का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :—

4.3.1 बांध, नहरों आदि के सुधार तथा संधारण हेतु राशि की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कर उसके अनुसार राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा.

4.3.2 कृषकों तथा जल उपभोक्ता संथाओं की सिंचाई व्यवस्था के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित् की जायेगी.

4.3.3 औद्योगिक क्षेत्र में जल वितरण की व्यवस्थाओं में निजी पूंजी निवेश का स्वागत किया जायेगा.

4.3.4 जल संरक्षण क्षेत्र में सिंचाई की कुशल व्यवस्था में कृषकों को प्रशिक्षित करने हेतु अशासकीय संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा.

4.3.5 निर्मित बांध एवं बड़े निर्माण कार्यों की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी.

4.3.6 बाढ़ पुर्वानुमान, बाढ़ का सामना करने हेतु तैयार रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः इसका सघन विस्तार और पूर्वानुमान समय को बढ़ाने के लिए वास्तविक समय आंकड़ा संग्रहण प्रणाली तथा मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण किया जाएगा. बाढ़ नियंत्रण में संचार व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए बांधों एवं नहरों के प्रबंधन में आधुनिक संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी.

4.3.7 जल संबंधी सेवाओं, जिसमें पेयजल, सिंचाई, जलविद्युत ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण, मत्स्य पालन एवं सामाजिक सेवायें शामिल हैं, को प्रभावी, समय पर एवं मितव्ययी करने हेतु राज्य द्वारा समुचित उपाय किये जावेंगे.

(4.3.7.1) प्रदेश की प्रमुख नदियों में एनीकट तथा नालों में चेकडैम निर्माण के साथ-साथ इनके किनारे विद्युत लाईन विस्तार का कार्य किए जाने से, इन संरचनाओं में संग्रहित जल का उपयोग कृषकों द्वारा विद्युत पंप स्थापित कर सिंचाई के लिए किया जावेगा.

(4.3.7.2) तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों में मछली पालन विकास हेतु वर्ष भर आवश्यक न्यूनतम जल स्तर 6 से 8 फिट बना रहे, उसकी समुचित व्यवस्था का प्रावधान होगा.

(4.3.7.3) तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों में जल निकास व्यवस्था के साथ-साथ आवश्यक जल स्तर बनाये रखने हेतु जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था का प्रावधान होगा, जिससे मत्स्य पालकों की न्यूनतम हानि हो.

(4.3.7.4) मत्स्य पालन विकास हेतु कृषि के समान जल आपूर्ति की व्यवस्था व्यवहारिक न्यूनतम दर पर उपलब्ध होगी, जिससे मत्स्य पालकों को जल आपूर्ति व्यवस्था पर कम से कम व्यय हो, क्योंकि मत्स्य पालक समाज के कमजोर वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं.

(4.3.7.5) सिंचाई जलाशयों का प्रबंधन एवं विकास का अधिकार जल संसाधन विभाग का होगा एवं मछली पालन का अधिकार मछली पालन विभाग का होगा एवं ये विभाग आपसी समन्वय कर राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपने दायित्वों का उचित निर्वाह कर सकेंगे.

4.3.8 राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि, वर्तमान जल अधोसंरचना समुचित रूप से पुर्नस्थापित एवं नवीनीकृत हो ताकि ये उत्तम स्तर का कार्य संपादन कर सके एवं बहुउद्देशीय उपयोग को सार्थक करते रहे.

4.3.9 सैंच्य क्षेत्रों में जल उपभोक्ता संस्थाओं की सार्थक एवं प्रभावी संबद्धता को लगातार बढ़ावा दिया जावेगा एवं उन्हें सुदृढ़ किया जावेगा, तथा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु उपभोक्ताओं से सलाह ली जावेगी.

4.3.10 राज्य स्तरीय संस्थागत नियामक ढांचे के प्रावधान हेतु राज्य विधान के तहत् छ.ग. जल संसाधन नियामक आयोग की स्थापना की जावेगी.

4.3.11 भू-जल के अतिदोहन को व्यवस्थित करने हेतु समुचित उपाय किये जावेंगे.

4.3.12 जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव को देखते हुए समुचित कृषिगत कार्यनीतियां और फसल पद्धति अपनाने की आवश्यकता है. इसे, जल उपभोक्ताओं को शामिल करके उन्हें समुचित रूप से सुग्राही बनाकर और उनके क्षमता का निर्माण कर प्राप्त किया जावेगा.

4.3.13 औद्योगिक इकाईयों द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू-गर्भीय जल के दोहन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जावेगा.

4.3.14 औद्योगिक प्रयोजन हेतु उद्योगों द्वारा उपयोग में लाये गये जल का स्राव पूर्णत: उपचारित किये जाने का एवं स्वयं उपयोग में लाये जाने का प्रावधान किया जावेगा.

4.4 **जल दरों का युक्तियुक्तकरण (Rationalization of Water Rates)** —जल परियोजनाओं की निर्माण लागत तथा जल को किसी स्थान पर उपलब्ध कराने की लागत काफी अधिक आती है. अत: जल दरों का निर्धारण, जल के संग्रहण में लगने वाली राशि तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. इसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

4.4.1 राज्य, युक्तिपूर्ण जल दरों एवं बजट में अतिरिक्त आर्थिक सहायता के सहयोग से जल संसाधनों, सैंच्य अधोसरंचनाओं एवं परियोजनाओं के पूर्ण संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रावधान सुनिश्चित करेगा.

4.4.2 कृषि तथा उद्योग हेतु जल दरों का युक्तियुक्तकरण इस उद्देश्य से किया जायेगा, ताकि परियोजना पर व्यय की गई राशि की आंशिक वसूली हो सके जिसे आगामी वर्षों में आवश्यक संधारण कार्यों हेतु उपयोग किया जा सके.

4.4.3 जल दरों के नियमित रूप से पुनर्निधारण की व्यवस्था स्थापित की जायेगी.

4.5 **जल संरक्षण (Water Conservation)** —जल की सीमित उपलब्धता तथा ऊंची लागत को देखते हुये जल संसाधनों का मितव्ययी उपयोग तथा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, साथ ही जल अधोसंरचना समुचित रूप से पुर्नस्थापित एवं नवीनीकृत किया जाना जरूरी है. स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के लिए उपलब्ध जल को आर्थिक वस्तु माना जाना चाहिए, ताकि इसका संरक्षण और कुशल उपयोग बढ़ सके. जल संरक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :—

4.5.1 जल संरक्षण हेतु नवीन तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा.

4.5.2 जल संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा.

4.5.3 जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता पैदा करने के सभी प्रयासों तथा विभिन्न तकनीकों को प्रोत्साहित किया जायेगा.

4.5.4 किसानों द्वारा छोटे तालाबों एवं अन्य मृदा व जल संरक्षण उपाय अपना कर, वर्षा जल संचयन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों का यथासंभव लाभ उठाया जाये यह सुनिश्चित किया जायेगा.

4.5.5 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य किया जावेगा. वर्षा-जल संग्रहण के क्षेत्र में विशेषज्ञता का विकास किया जावेगा.

4.5.6 शहरी क्षेत्रों में तालाबों के संवर्धन हेतु विशेष प्रावधान किया जावेगा.

4.5.7 **निष्प्रयोजित खदानों का संरक्षण—** छत्तीसगढ़ के निष्प्रयोजित (Abandoned) खदानों को जल संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है. इससे Ground Water Table भी recharge होगा तथा संग्रहित जल का उपयोग कृषि कार्यों हेतु सुविधानुसार किया जा सकेगा.

4.5.8 बड़े डैम का प्रोजेक्ट तैयार करते समय खनिज धारित क्षेत्र को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि खनिज डुबान क्षेत्र के अंतर्गत न आने पावें. यदि खनिज धारित क्षेत्र के डुबान से बचना संभव नहीं है, तो उसके डुबान में आने के पूर्व यथासंभव माइनिंग कर लेने की योजना खनिज संसाधन विभाग से समन्वय कर बनाई जावेगी.

4.5.9 खनन क्षेत्रों तथा भूमिगत खदानों में जल निकासी से निकाले जाने वाले जल का उपयोग कृषि कार्यों/निस्तार हेतु किया जावेगा.

5. **कार्य योजना :—** जल संसाधन विकास नीति को क्रियान्वित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :—

5.1 **वैधानिक पहल (Legal Initiatives) —** भूजल का संतुलित दोहन विनियमित करने तथा प्रबंधन में कृषकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विद्यमान प्रावधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा.

5.2 **संस्थागत सुधार एवं क्षमता वृद्धि हेतु पहल (Institutional Reforms and Capacity Building) —**जलक्षेत्र के मुद्दो का समाधान करने के लिए निरंतर अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा दिया जावेगा. जल संसाधन क्षेत्र में नवाचार कार्यों को प्रोत्साहन, मान्यता और पुरस्कृत किया जायेगा. संस्थागत सुधार एवं क्षमता वृद्धि हेतु निम्न कार्य किये जायेंगे :—

5.2.1 राज्य में जल संसाधनों के विकास की आयोजना तथा विकास के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित "छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल" द्वारा नियमित समीक्षा कर दिशा निर्देश दिये जायेंगे.

5.2.2 राज्य जल संसाधन उपयोग समिति तथा जिला/संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति के माध्यम से जल की प्राथमिकता तथा उपयोगिता का निर्धारण किया जायेगा.

5.2.3 जल संसाधन विभाग में वैज्ञानिक पद्धति से डाटा बेस की स्थापना कर डाटा एकत्र किये जायेंगे, ताकि सतही एवं भूजल संपदा की मात्रा एवं गुणों का सही आंकलन हो सके एवं जल संसाधन की आयोजना में उनका उपयोग किया जा सके.

5.2.4 जल दरों के निर्धारण एवं नियमित पुनरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा.

5.2.5 निर्मित बड़े बांधों एवं बड़े निर्माण कार्यों की सुरक्षा हेतु "बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ" का गठन किया जायेगा.

5.2.6 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी. इसी प्रकार कृषकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जायेगी. प्रशिक्षण हेतु सुनिश्चित विषयों एवं मापदंडों का निर्धारण किया जायेगा. इसके अंतर्गत परियोजना की आयोजना, क्रियान्वयन, संचालन एवं जल वितरण जैसे विषय भी होंगे.

5.3 **नीति का क्रियान्वयन (Implementation of the Policy) —** बारहवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के दौरान, जल संसाधन विकास नीति के प्रावधानों को शामिल करने की अनुशंसा हेतु छ.ग. राज्य शासन कार्यक्रम निर्धारित करेगा. इस हेतु छ.ग. शासन, जल संसाधन विकास नीति के निम्नांकित प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु योजना समय सारिणी की अधिसूचना जारी करेगा—

(अ) जल प्रबंधन समिति की स्थापना.
(ब) सिंचाई एवं सैंच्य क्षेत्र विकास विभाग का पुर्नसंगठन.
(स) छ.ग. राज्य जल संसाधन नियामक आयोग की स्थापना.

5.4 **सामाजिक जागरूकता (Social Awareness)** —जल की बहुमूल्यता के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा करने की दिशा में निम्न प्रयास किये जायेंगे :—

5.4.1 जल संसाधनों की व्यवस्था संबंधी निर्णय के पूर्व जल उपभोक्ता विभागों तथा जल उपभोक्ता संस्थाओं से परामर्श किया जायेगा.

5.4.2 जल संरक्षण के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा करने हेतु जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा. इस कार्य में स्थानीय संस्थाओं तथा समाजसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा. स्थानीय शासी निकायों जैसे-पंचायतों, नगरपालिकाओं, निगमों आदि और जल उपभोक्ता संस्थाओं को भी परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन में शामिल किया जायेगा.

6. **उपसंहार :—** छत्तीसगढ़ राज्य की जल संसाधन विकास नीति, राज्य में पेयजल, कृषि एवं उद्योगों के लिये समुचित जल व्यवहारिक दरों पर न्यायासंगत ढांचे के तहत् उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर आधारित है. इसमें वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये जल संसाधनों की आयोजना, निर्माण, संधारण एवं संचालन के माध्यम से जल उपभोक्ता को आवश्यक जल उपलब्ध कराने की अवधारणा अपनाई गई है तथा समाज सेवी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र की भूमिका को भी प्रोत्साहित किया गया है. अपेक्षा की जाती है कि, राज्य जल संसाधन विकास नीति के क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में जल संपदा का सर्वांगीण विकास हो सकेगा. जल संसाधन विकास नीति का लक्ष्य संस्थागत मशीनरी के प्रावधान में बाधाओं के निराकरण तथा जल उत्पादकता को बेहतर बनाना है. आधुनिक तकनीक, यंत्रों, जल संसाधन योजनाओं के विकास हेतु उचित प्रस्तावों के प्रभावी उपयोग, उन्नत सूचना तकनीक, संचार तंत्र में विकसित शोध, जनसामान्य की जागरूकता एवं आधुनिक ज्ञान आधारित प्रबोधन द्वारा जल प्रबंधन एवं गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा. जल संसाधन विकास नीति का गुणवत्तायुक्त प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के आपसी सहयोग से प्राप्त किया जावेगा.

Chhattisgarh State Water Resources Development Policy-2022

No. 2528/195/जसं./तशा/अ.वि./डी-4/01.—State Government here by declares “Chhattisgarh State Water Resources Development Policy-2022”, with immediate effect as under :—

1. **Forword—** Water Management is challenging task for socio-economic growth of state in the field of Irrigation, Power, Environment pollution control and providing safe drinking water. Water is a valuable resource of Chhattisgarh State. About 80% population of state depends on agriculture activities for their livelihood. Agriculture of state mostly depends upon rains, as such for development of state, effective and efficient utilization of water resources is necessary. Although Chhattisgarh state is having huge storage of water but it has not been satisfactory utilised. After the constitution of Chhattisgarh State on 01 November 2000 to develop the water resources of the State in a planned manner, a “Chhattisgarh State Water Resources Development Policy-2001” has been effected vide Govt of Chhattisgarh notification, dated 03-11-2001, which is still in force. The National Water Policy (NWP)-2012 has been adopted by the National Water Resources Council (NWRC) headed by the Hon’ble Prime Minister. The Para 16.2 of NWP is for the Implementation of National Water Policy wherein it has been stated that the State Water Policies may need to be drafted/revised in accordance with this policy, keeping in mind the basic concerns and principles as also a unified national perspective. Hence, in this context State Water Rsources Development Policy-2001 is revised and a “Revised State Water Resources development Policy-2020” has been formulated.

1.1 **Need for State Water Resources Development Policy—**

1.1.1 There is a need to remove the large disparity between stipulations for water supply in urban areas and in rural areas. Efforts should be made to provide improved water supply in rural areas with proper sewerage facilities. Demand and use of water is related to many fields and they are controlled at various levels. Rapid growth of population and industries, over-abstraction of water resources, unplanned urban development and uncontrolled pollution are some of such issues on which sufficient attention is to be given to fulfil the challenges of different Water related areas.

1.1.2 There are number of challenges related to the development of new infrastructure, maintenance and operation of existing infrastructure and increasing threats due to pollution prone resource, over-abstraction, and unplanned development that excabarte existing climatic risks such as droughts and floods.

1.1.3 Water logging, salinization, and increased levels of toxic elements in the water are serious concern. Water management, Water areas planning has an opportunity to work in this field. Quality conservation and improvements are even more important for ground waters, since cleaning up is very difficult. In needs to be ensured that industrial, effluents, local cess pools, residues of fertilizers and chemicals, etc., do not reach the ground water.

1.1.4 Ground water development has played a crucial role, in meeting the rising demands for water resulting from onset of green revolution, as well as drinking water and droughts.

1.1.5 There is a need to plan for flood control and management. Physical flood protection works like embankment and dykes, extensive soil conservation in the catchments, prevention of forests and increase in the forest coverage, adequate flood cushioning in water storage projects, whenever feasible to facilitate better flood management and extensive network for flood forecasting to establish a system of timely warning to the settlements in the flood plains, would be required to minimize the loss of life and property on account of floods.

1.1.6 Water needs to be managed as a community resource held, by the state, under public trust doctrine to achieve food security, livelihood, and equitable and sustainable development for all.

1.1.7 It needs to be recognized that the field practices in water sector in advanced countries have been revolutionized by advances in information technology and analytical capabilities. a re-training and quality improvement programme for water planners and managers at all levels in private and public sectors, needs to be undertaken.

2. **Present Scenario—** Chhattisgarh is an agriculture based state, where more than 80% population depends upon agriculture. About 44% areas of the state is covered by forest, and about 32% population is scheduled tribe. In the state upto the year 2011 irrigation potential created is about 18.09 lakes Hectare area whereas actual irrigation is being done in 11.62 Lakes Hectare area. Total sown area is 56.83 Lakhs Hectare in the state. Percentage of irrigation created is 31.83% which is very much less than national average of 48.90%. At Present total 07 Major irrigation Projects, 33 Medium irrigation projects, and 2335 minor irrigation projects are completed, while 04 Major projects, 06 Medium projects and 412 minor projects are under construction. Main projects under construction are Minimata Bango project, Rajiv Samoda phase-II, Sondhur Project, Kelo project, Kosarteda Project, Karranalla Barrage etc. Main rivers of the state are Mahanadi, Shivnath, Hasdeo and Indravati river. In the light of importance of agriculture development, water resources is the main key of development of the state.

3. **Objectives.—** Development of water resources is mainly essential for drinking water agriculture and industrial purposes. Huge investment has been done in development of water resources, but due to socio-economic causes, return from this investment in very less. Forest and villagers of the submergence areas of proposed construction of dams for the development of water resources also get effected. So effective rehabilitation of villagers of submergence area is also essential. In view of all these points following are the main objectives of “Water resources development policy” of the State Government.

3.1 Development of water resources is to be done in such a planned way, which is sustainable to the environment. Encroachments and diversion of water bodies (like rivers, lakes, tanks, ponds, etc.) and drainage channels (irrigated area as well as urban area drainage) must not be allowed, and wherever it has taken place, it should be restored to the extent feasible and maintained properly.

3.2 Technically feasible every possible effort must be taken for the development of water resources in the drought affected and rain shadow areas. Land, soil, energy and water management with scientific imputs from local, research and scintific institutions should be used to evolve different agricultural strategies and improve soil and water productivity to manage droughts.

3.3 To make water availability for drinking, agriculture and industries at such feasible rates so that at least maintenance expenditures can be meet.

3.4 In view of necessity of huge investment in water resources development, private sector investment is to be encouraged.

3.5 Participation of leaders of water users in water resources development and maintenance be ensured. Water Users Associations should be given statutory powers to collect and retain a fixed portion of water charges, manage the volumetric quantum of water allotted to them and maintain the distribution system in their jurisdiction.

3.6 To ensure water security to the entire population by ensuring appropriate institutional and legal frame work in the water sector for supply of water to the various uses/users.

3.7 **Methods to Improve Water Management and Quality.—**

3.7.1 Integrated and co-ordinated efforts by all concerned institutions/organisations in developing a policy framework for planning water resources augmenting them and putting them to productive use.

3.7.2 Effective participation of users in development and management of the states water resources.

3.7.3 Increasing the productivity of water by fixing the standards of infrastructure services and utilisation efficiency.

3.7.4 Reducing the climatic risks and improvement of rainfed agriculture productivity.

3.8 **Methods to improve Water availability and Quality of Irrigation water.—**

3.8.1 Realising optimum irrigation potential under major, Medium and Minor Irrigation Projects.

3.8.2 Improving the performance of Irrigation projects by narrowing the gap between potential created and utilisation.

3.9 **To maintain and sustain ecological balance by.—**

3.9.1 Conserving and protecting the water storing structures and wetlands through regulation and enforcement of standards for water infrastructure, uses and waste disposals.

3.9.2 Regulating the uses of lands around water storing structures.

3.9.3 Enforcing the recycling of industrial effluents and water disposal. Also, reuse of urban water effluents from kitchens and bathroom, after primary treatment, in flush toilets should be encouraged.

4. **Factors of Water Resources Development Policy.—** Following are the main factors of State Policy of Water Resources Development :—

4.1 Water resources planning.
4.2 Water resources development.
4.3 Water resources management.
4.4 Rationalization of water rates.
4.5 Water conservation.

4.1 **Water Resources planning.—** For the fulfilment of present and future needs of water and for planning of water resources, following actions will be taken by the State Government ;—

4.1.1 Estimation of surface water and ground water in the state will be done and according to their availability, an integrated 'Water resources development master plan' will be prepared.

4.1.2 It will be ensured that during the planning of Major and Medium Projects, need of water for drinking and irrigation along with industries and electro power generation will also be considered.

4.1.3 State Government will give top priorities to the drinking water and agriculture in untilisation of water resources.

4.1.4 During planning of minor Irrigation projects participation of farmers and local citizens will be ensured.

4.1.5 Integrated utilisation of surface and ground water will be given priority and quantity of available ground water will be estimated scientifically time to time.

4.1.6 Necessary legal provisions will be made to keep balance in abstraction of ground water.

4.1.7 *Satellite imagery and GIS techniques can be used for water resources planning as well as water resources management.*

4.2 **Water resources Development.—** In view of importance of agriculture in development of the state the State Government gives top priority to water resources development in the state. Following strategy will be adopted for water resources development in the state :—

4.2.1 Funds will be made available to the projects under construction on the basis of priority of their progress in different phases. For this, efforts will be made to gain funds from NABARD, AIBP, or International Financial Organizations apart from Government Budget.

4.2.2 In view of huge expenditure in new projects, private sector investment will be welcomed for development of water resources.

4.2.3 On the basis of availability of financial resources, new projects will be taken up in such a way that they will complete within time and give benefits.

4.2.4 Regional imbalance will also be taken into account while taking up the new projects.

4.2.5 While taking up new projects, resettlements, rehabilitation and environmental balance will be given proirity and rehabilitation package will be made more attractive. Compensation amounts of land to be acquired will be paid early. Regular participation of project effected people will be given priority in rehabilitation process.

4.2.6 Every possible efforts will be made for water resources development in drought effected areas and rain shadow areas.

4.2.7 State government will promote such irrigation projects to which users are agree to take responsibilities of repairs and maintenance.

4.2.8 Inter-State, inter-regional disputes in sharing of water, hamper the optimum utilization of water through science based planning on basin/sub-basin basis. Hence as far as possible, water disputes will be resolved at the earliest by mutual talk.

4.2.9 Cultural assets should also be adequately protected in project development.

4.2.10 Environmental aspects including catchment area treatment and management, ground water and surface water sustainability will be taken into account in the development of project.

4.3 **Water Resources Management.—** Given the limits on enhancing the availability of utilizable water resources and increased variability in supplies due to climate change, meeting the future demand of water will depend more on demand management, and hence, this needs to be given priority, especially through

(a) evolving and agricultural system which economizes on water use and maximizes value from water, and

(b) bringing in maximum efficiency in use of water and avoiding wastages. Full utilisation of huge capacity dams and canals was not possible because sufficient priority has not been given to maintenance in earlier time. Extra irrigation facility can be achieved in less expenditure by better maintenance of constructed dams and extension of existing canals.

At present it is not possible to keep a controlled irrigation by irrigation projects and canals, because an outlet can irrigate an area of 200-250 acres in "field to field" irrigation arrangement. Due to this there is a loss of water, secondly this is not possible to extract crops which requires low quantum of water, hence the provision of irrigation drainage system is essentially required.

Following actions will be taken by the State Government for better management of Water Resources :—

4.3.1 Actual necessity of funds for repairs and maintenance of dams and canal will be estimated and accordingly efforts will be made to provide it.

4.3.2 Participation of farmers and WUA's in management of irrigation system will be ensured.

4.3.3 In water distribution arrangements in the industrial sector, private investment will be welcomed.

4.3.4 Non Government Organisation will be promoted to train the farmers in the efficient arrangement of irrigation in water conservation areas.

4.3.5 Sufficient safety arrangements will be done for constructed dams and major construction works.

4.3.6 Flood forecasting is very important for flood preparedness and should be expanded extesively and modernized using real time data acquisition system and medium range weather forecasting to enhance lead time. Latest iformation technology will be established in dams and canals management in view of importane of information technology in the field of flood control.

4.3.7 The state will take folowing appropriate measures to ensure effective, timely and cost effective delivery of water related services including drinking water inrrigation, hydropower, industrial, environmental, fisheries and community services :—

4.3.7.1 *Besides the construction of Anicuts and Checkdams across the important reivers in the state, the expansion of electricity along the Checkdams and Anicuts is required. The water stored in this way can be used by the farmers for irrigation purpose, by establishing electrical pumps. Hence there is necessity to give priority to this work.*

4.3.7.2 *To ensure the required minimum water level 6 to 8 feet in fish ponds and irrigation reservoirs, provision should be made in the Water Policy.*

4.3.7.3 *In irrigations ponds and tanks, the minimum water level should be maintained as well as safe exit of water is also essential, so that the fishing community have a minimum loss. Provision for the above arrangements should be made in this policy.*

4.3.7.4 *For the fishing development, water should be made available at the reasonable rate as like it is provided for agriculture. The fishing community which represents the poor sections of the society, the expense on water should be minimum.*

4.3.7.5 *The rights of manaement and development of irrigation tanks should be under the control of Irrigation Department and the fisheries department should control fish culture. Both the departments should co-ordinate each other for the development of state in the economic and social status.*

4.3.8 The state will ensure that existing water infrastructure is rehabilitated appropriately and modernised so that its performance is at optimum level and reorganised the multipurpose dimensions of the assets.

4.3.9 In a given irrigation area, effective and fruitful involvement of water users association will be continuously promoted and WUA's will be strengthened and advise of users will be taken to improve the quality of services.

4.3.10 The Chhattisgarh Water Resources Regulatiory commission will be established under the state legislation to provide the regulatory institutional frame work at the state level.

4.3.11 A dequate measures will be taken to regulate over abstraction of ground water.

4.3.12 In view of likely impact of the climate change, there is a need to adopt compatible agricultural strategies, and cropping patterns. This may be achieved by involving the water users, sensitizing them appropriately and building their capacities.

4.3.13 *Over extraction of graound water by the industrial unit for industrial purpose, should be banned completely.*

4.3.14 *The effluent water comming out from the industrial unit, should be treated sufficiently, and recycled.*

4.4 **Rationalization of Water Rates .—** Construction cost of water projects and provision cost of water at a place comes very large so water rates should be decided by givigng due consideration to funds to be expended for water collection and profit to be earned. For this following actions will be taken :—

4.4.1 The State will ensure provisions for full operations and maintenance requirements of water resources and irrigation infrastructure projects through an appropriate combination of rationalization of water charges and budgetary subsidy support.

4.4.2 Rationalization of water rates for agriculture and industries will be done in such a way that funds expended on the project may be partly recovered in future for necessary maintenance of the project.

4.4.3 Arrangement for regular revision of water rates will be established.

4.5 **Water Conservation .—** Water, over and above the pre-emptive need for safe drinking water and sanitation, should be trated as an economic good so as to promote its conservation and efficient use. In view of limited availability and high cost of water, economic use and conservation of water resources is essential. In addition to this water infrastructure should be fully rehabilitated and renewed. Following acitions will be taken by the state government —

4.5.1 Use of new technology for water conservation will be promoted.

4.5.2 Research work in the field of water conservation will be promoted.

4.5.3 All efforts with respect to generate awareness regarding necessity of water conservation and different techniques will be promoted.

4.5.4 To the extent possible, existing programs like MGNREGA may be used by farmers to harvest rain water using from ponds and other soil and water conservation measures.

4.5.5 *In urban areas of the state, rain water harvesting has been made mandatory. To develop expertise in the field of rain water harvesting, provision shall be made.*

4.5.6 *In urban areas, augmentation of tanks shall be made.*

4.5.7 ***Protection of Abandoned mines.—*** *Adandoned mines in Chhattisgarh can be used for water storage. It will recharge ground water table and can be contveniently stored for agricultural use.*

4.5.8 *While preparing Larger Dam project, areas of mineral sector should be kept in mind, so that minerals should not come under projects submergence. If it is not possible to avoid mineral sectors under projects submergence, possible mining ativities should be ensured in co-ordination with the Department of Mineral Resources.*

4.5.9 *The water coming out from the mining areas and under ground mining, should be used for agricultural/domestic purpose.*

5. **Work plan.—** For the implementation of water resources development policy, following actions will be taken :—

5.1 **Legal initiatives .—** To regulate the balanced abstraction of ground water, and to ensure participation of farmers in the management, existing provisions will be modified.

5.2 **Institutional Reforms and capacity building.—** Continuing research and advancement in technology shall be promoted to address the issues in water sector in a scientific manner, Innovations in water resources sector should be encouraged, recognized and awarded.

Fallowing works will be done under this subject—

5.2.1 Regular analysis will be done and directions will be given by the Chhattisgarh Irrigation Project Board constituted under chairmanship of Chief Minister for water resources planning and development in the state.

5.2.2 Priorities and usage of water will be decided through state water resources utilisation committee and district/division level water utilisation committee.

5.2.3 Data will be collected by establishing data base through scientific system in water resources department, so that quantity and qualities of ground water storage should be estimated correctly and can be utilised in water resources planning.

5.2.4 A committee will be constituted for water rates fixation and their revision.

5.2.5 "Dam safety cell" will be constituted for safety of constructed major dams and big construction works.

5.2.6 Arrangments for regular training of water resources department officials and workers will be done. farmers will also be trained in this way. Appropriate subjects and standards will be decided for this training. Subjects like project planning, implementation, opeation and water distribution will also be there in this training.

5.3 **Implementation of the policy.—** The Chhattisgarh government will decide programme for inclusion of recommendations of water resources development policy during implementation of XII Five-year Plan. Towards this the Government of Chhattisgarh will notify the schedule for implementation for the following provisions of the policy—

(a) Establishment of Water Management Committee.

(b) Reorganising the Irrigation and Command Area Development Department.

(c) Establishment of Chhattisgarh State Water Regulatory Commission.

5.4 **Social Awareness.—** Following efforts will be done to generate social awareness about value ability of water—

5.4.1 Water users Associations and Water users Departments will be discussed before taking decision related to arrangements of water resources.

5.4.2 Participation of public will be promoted for social awareness regarding water conservation. Local institutions and social welfare organisations will also be involved in this work. Local governing bodies like Panchayats, Municipalities, Corporations, etc. and Water Users Associations shall also be involved in planning and implementation of the projects.

6. **Conclusion.—** Chhattisgarh State water Resources Development Policy is based on the objectives of ensuring availability of safe drinking water and sufficient water for agriculture and industries at reasonable cost under legal frame work. In this policy, it is preassumed to make the availability of water to water user through water resources planning, construction, maintenance and operation has been adopted and part of social welfare organisations and private sector is promoted. It is expected that for full development of water resources storage Will take place through implementation of state water resources policy. Target of water resources development policy is to resolve the hurdles and to make water productivity better through Provisions of institutional machinery. Improvement in Water management and water quality will be achieved through latest techniques, equipments, effecive uses of appropriate proposals for water resources development, improved information techniques, advanced research in the information system, social awareness of the people, and latest knowledge based monitoring. Qualitative effect of Water Resources Development policy will be achieved by co-operation of different fields.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur (C.G.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जुलाई 2022

क्रमांक 7321/1951/21-ब/छ.ग./2022.—कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन् 1984) की धारा-4 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की सहमति से एवं ज्ञापन क्रमांक 971/Confdl./2022/II-15-2/2005 (Pt. III)/II-2-17/2001 (Pt. IV), Bilaspur, dated 29th June, 2022 के अनुपालन में नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित, निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवाएं वापस लेते हुए उनको अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर उनके पदग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायाधीश का नाम (2)	न्यायालय का नाम (3)
1.	श्री विजय कुमार होता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बैकुंठपुर.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा
2.	श्रीमती गीता नेवारे, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सक्ती	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जशपुर

No. F 7321/1951/XXI-B/C.G./2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 971/Confdl./2022/II-15-2/2005 (Pt. III)/II-2-17/2001 (Pt. IV), Bilaspur, dated 29th June, 2022, by withdrawing the services of the following members of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below, appoints them as Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date they assume charge of office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Shri Vijay Kumar Hota, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Baikunthpur.	Judge, Family Court, Bemetara
2.	Smt. Geeta Newara, I Additional District and Sessions Judge, Sakti.	Judge, Family Court, Jashpur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM KUMAR TIWARI, Principal Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2022

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1512/11/अ-82/2021-22.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का भू-अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	केन्दा	0.703	केन्दा व्यपवर्तन योजना शाखा नहर निर्माण हेतु (पूरक)

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 30-07-2022 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम केन्दा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	केन्दा व्यपवर्तन योजना शाखा नहर निर्माण हेतु (पूरक)
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	1
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	-
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	केन्दा व्यपवर्तन योजना शाखा नहर निर्माण हेतु (पूरक)
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	20 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	-
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर जगदलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2022

(नियम 19 (1) एवं (2) देखिए)

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2021-22.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत् यह घोषित किया जाता है कि ग्राम बड़ेकिलेपाल तहसील बास्तानार की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दें.
(1)	(2)	(3)
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाईयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू हनीं होता.
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं हेाता.
08.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
09	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

1- तद्अनुसार आज दिनांक 22-7-2022 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन कुमार कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 6 जुलाई 2022

क्रमांक/5936/भू.अ. प्र.क्र. 01 अ-82 वर्ष 2019-20/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	बालोद प.ह.नं. 06	0.031	कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बालोद, संभाग बालोद.	बालोद - पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/1755.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/4472-4473 रायपुर दिनांक 22-10-2019 द्वारा श्री आनंद सिंह पैकरा, विषय वस्तु विशेषज्ञ को कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़, जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला रायगढ़ (छ.ग.) का पत्र क्र./Tio/मण्डी/भार.अधि./2022-23/1451 दिनांक 13-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़, जिला रायगढ़ के भारसाधक अधिकारी श्री आनंद सिंह पैकरा का स्थानांतरण हो जाने से श्री सुमान सिंह पैकरा अनुविभागीय अधिकारी कृषि सारंगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़ जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री आनंद सिंह पैकरा, विषय वस्तु विशेषज्ञ के स्थान पर श्री सुमान सिंह पैकरा अनुविभागीय अधिकारी कृषि सारंगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़ जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

भुवनेश यादव,
संचालक.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 30 जून 2022

क्रमांक 622/भू-अभि./अ.भू.अ./2022.—नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल का सृजन एवं रा.नि.मं. के पटवारी हल्कों का समायोजन एवं पुन:क्रमांकन छ.ग. भू-राजस्व की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भोस्कर विलास संदीपान, कलेक्टर, बेमेतरा एतद्द्वारा जिला बेमेतरा अन्तर्गत तहसील नवागढ़ में नवीन रा.नि.मं. गोढ़ीकला का पुनर्गठन एवं तहसील नवागढ़, नांदघाट के पटवारी हल्कों का पुन:क्रमांकन निम्नांकित अनुसूची में दर्शित अनुसार करता हूं :—

हल्का बंदी 2022—23 तहसील नवागढ़ जिला — बेमेतरा

क्र.	तहसील का नाम	वर्तमान				प्रस्तावित				खाता क्षेत्रफल	गैर खाता क्षेत्रफल	योग क्षेत्रफल	विरान/डुबान/गांठ
		रा.नि.म.	मुख्यालय का नाम	आबाद ग्राम	वर्तमान प.ह.न	रा.नि.म.	मुख्यालय का नाम	आबाद ग्राम	प्रस्तावित प.ह.नं.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
तहसील नवागढ़ रा.नि.मं. — गनिया जिला — बेमेतरा													
1	नवागढ़	गनिया	घोघरा	घोघरा	7	गनिया	घोघरा	घोघरा	1	601.30	100.69	701.99	
2				मानिकपुर				मानिकपुर		358.10	57.22	415.32	
3			रनबोड़	रनबोड़	45		रनबोड़	रनबोड़	2	650.09	78.76	728.85	
4				धौरामाठाकला				धौरामाठाकला		143.28	29.54	172.82	
5				धौरामाठाखुर्द				धौरामाठाखुर्द		183.12	37.56	220.68	
6				हरिहरपुर				हरिहरपुर		96.30	13.74	110.04	
7			प्रतापपुर	खाम्ही	1		प्रतापपुर	खाम्ही	3	200.00	51.22	251.22	
8				दर्री				दर्री		90.23	22.74	112.97	
9				प्रतापपुर				प्रतापपुर		266.09	52.98	319.07	
10				लिटीपुर				लिटीपुर		83.76	24.18	107.94	
11			गनिया	गनिया	2		गनिया	गनिया	4	223.94	53.10	277.04	
12				धोबनीकला				धोबनीकला		284.14	34.27	318.41	
13				बेलदाहरा				बेलदाहरा		145.93	17.82	163.75	
14				लालपुर				लालपुर		99.93	12.18	112.11	
15			झांकी	करमन	3		झांकी	करमन	5	138.95	30.75	169.7	
16				अमलीडीह				अमलीडीह		96.29	19.37	115.66	
17				झांकी				झांकी		320.78	55.21	375.99	
18				ठेंगामाठ				ठेंगामाठ		215.86	29.25	245.11	
19				धोबनीखुर्द				धोबनीखुर्द		87.53	17.51	105.04	
20				बोईरकचरा				बोईरकचरा		211.02	36.40	247.42	
21			बाघुल	नेवसा	4		बाघुल	नेवसा	6	339.68	63.12	402.8	
22				बघुली				बघुली		281.76	49.05	330.81	
23				बाघुल				बाघुल		312.17	57.15	369.32	
24			भीमपुरी	घोंठा	5		भीमपुरी	घोंठा	7	227.07	31.40	258.47	
25				चकलाकुड़ा				चकलाकुड़ा		103.73	17.52	121.25	
26				दौनाडीह				दौनाडीह		72.25	15.02	87.27	
27				भीमपुरी				भीमपुरी		117.49	18.13	135.62	
28			हरदी	गांगपुर	6		हरदी	गांगपुर	8	246.73	23.34	270.07	
29				जोगीपुर				जोगीपुर		98.83	20.79	119.62	
30				तिलईपार				तिलईपार		212.06	36.78	248.84	
31				मुरकुटा				मुरकुटा		132.60	21.52	154.12	
32				साल्हेघोरी				साल्हेघोरी		171.91	17.34	189.25	
33				हरदी				हरदी		205.72	32.98	238.7	
योग										**7018.64**	**1178.63**	**8197.27**	

तहसील नवागढ़ रा.नि.मं. — नवागढ़ जिला — बेमेतरा													
1			झाल	झाल	9		झाल	झाल	9	783.13	149.43	932.56	
2				नवलपुर				नवलपुर		191.90	37.52	229.42	
3				भैसामुड़ा				भैसामुड़ा		240.89	46.86	287.75	
4				मदनपुर				मदनपुर		153.06	29.75	182.81	
5			गाड़ामोर	अतरगांवा	8		गाड़ामोर	अतरगांवा	10	241.36	39.33	280.69	
6				खपरी				खपरी		176.83	20.79	197.62	
7				गाड़ामोर				गाड़ामोर		321.45	65.09	386.54	
8				धरमपुरा				धरमपुरा		101.06	16.46	117.52	

9	नवागढ़	नवागढ़		मोतिमपुर		नवागढ़		मोतिमपुर		306.42	49.50	355.92	
10			मोहतरा	बैजलपुर	10		मोहतरा	बैजलपुर	11	86.67	13.65	100.32	
11				बोड़तरा				बोड़तरा		402.91	88.37	491.28	
12				मोहतरा				मोहतरा		514.37	42.71	557.08	
13			मुरता	कौड़िया	11		मुरता	कौड़िया	12	189.13	47.91	237.04	
14				मुरता				मुरता		785.87	146.90	932.77	
15				लालपुर				लालपुर		154.28	22.67	176.95	
16				हरमुड़ी				हरमुड़ी		334.75	57.13	391.88	
17			नवागढ़	नवागढ़	12		नवागढ़	नवागढ़	13	1377.11	282.94	1660.05	
योग										6361.19	1157.01	7518.20	

तहसील नवागढ़ रा.नि.मं. – अंधियारखोर जिला – बेमेतरा

1	नवागढ़	अंधियारखोर	गोपालमैना	गोपालमैना	46	अंधियारखोर	गोपालमैना	गोपालमैना	14	347.39	74.64	422.03	
2				दुरासेमरिया				दुरासेमरिया		221.50	40.98	262.48	
3				तौरा				तौरा		291.54	59.39	350.93	
4				रिसामली				रिसामली		131.82	22.17	153.99	
5			बरबसपुर	नगधा	13		बरबसपुर	नगधा	15	116.24	18.56	134.80	
6				बरबसपुर				बरबसपुर		247.72	54.87	302.59	
7			अंधियारखोर	अंधियारखोर	15		अंधियारखोर	अंधियारखोर	16	370.78	68.67	439.45	
8				गोपालपुर				गोपालपुर		243.12	65.82	308.94	
9				जेवरा एन.				जेवरा एन.		344.24	57.76	402.00	
10				देवरी				देवरी		212.77	42.93	255.7	
11				मक्खनपुर				मक्खनपुर		249.49	51.76	301.25	
12			कुंवा	कुंवा	16		कुंवा	कुंवा	17	287.17	55.81	342.98	
13				नवागांव				नवागांव		173.04	23.42	196.46	
14				बहरबोड़				बहरबोड़		272.98	39.64	312.62	
15				भालूपान				भालूपान		87.63	13.98	101.61	
16				मुंगवाय				मुंगवाय		153.28	36.72	190.0	
17			नांदल	खरहरी	47		नांदल	खरहरी	18	196.53	26.73	223.26	
18				घटोली				घटोली		140.77	27.10	167.87	
19				नांदल				नांदल		296.88	73.16	370.04	
20			समेसर	खपरी	14		समेसर	खपरी	19	152.73	30.79	183.52	
21				मानपुर				मानपुर		299.21	41.82	341.03	
22				छितापार				छितापार		138.56	20.31	158.87	
23				समेसर				समेसर		134.31	25.03	159.34	
24			खैरी	खैरी	17		खैरी	खैरी	20	331.14	56.08	387.22	
25				छेरकापुर				छेरकापुर		119.98	22.80	142.78	
26				जुनाडाडू				जुनाडाडू		206.96	30.84	237.8	
27				नवागांव				नवागांव		133.64	15.72	149.36	
28				हटहाडाडू				हटहाडाडू		358.19	56.22	414.41	
29			कांमता	कांमता	48		कांमता	कांमता	21	456.36	84.66	541.02	
30				मुरकुटा				मुरकुटा		275.00	44.40	319.40	
31				सिवनी				सिवनी		151.11	49.4	200.51	
योग										7142.08	1332.18	8474.26	

तहसील नवागढ़ रा.नि.मं. – गोढ़ीकला (प्रस्तावित नवीन रा.नि.मं.) जिला – बेमेतरा

1	नवागढ़	बदनारा	कटई	कटई	23	गोढ़ीकला	कटई	कटई	22	546.86	86.80	633.66	
2				तारेगांव				तारेगांव		159.33	53.05	212.38	
3				नेऊर				नेऊर		236.02	48.25	284.27	
4				मदौरा				मदौरा		164.39	27.91	192.30	
5				रूसे				रूसे		181.64	38.79	220.43	
6		सम्बलपुर	गोढ़ीकला	गोढ़ीकला	19		गोढ़ीकला	गोढ़ीकला	23	281.10	51.49	332.59	
7				गोढ़ीखुर्द				गोढ़ीखुर्द		189.14	33.93	223.07	
8				धनौरा				धनौरा		344.03	54.61	398.64	
9				ढनढनी				ढनढनी		276.27	63.55	339.82	
10			कंवराकांपा	कंवराकांपा	18		कंवराकांपा	कंवराकांपा	24	344.41	53.46	397.87	
11				नवागांव				नवागांव		187.57	38.24	225.81	
12			पेन्ड्री	अंधियारखोर एस	20		पेन्ड्री	अंधियारखोर एस	25	339.67	56.55	396.22	
13				जेवरा एस.				जेवरा एस.		280.74	38.30	319.04	
14				पेन्ड्री				पेन्ड्री		659.69	107.20	766.89	
15				खरई				खरई		284.73	49.29	334.02	

16				जैतपुरी				जैतपुरी		282.48	51.16	333.64	
17			रमपुरा	टिंगाली जेवरा	21		रमपुरा	टिंगाली जेवरा	26	117.80	25.65	143.45	
18				बेलटुकरी				बेलटुकरी		286.55	54.98	341.53	
19				रमपुरा				रमपुरा		230.73	41.2	271.93	
20				कावरा जेवरा				कावरा जेवरा		149.19	26.87	176.06	
21				कुरूवा				कुरूवा		149.40	32.86	182.26	
22		बदनारा	गनियारी	गनियारी	22		गनियारी	गनियारी	27	310.47	61.54	372.01	
23				दयालपुर				दयालपुर		221.62	54.89	276.51	
24				मेड़की				मेड़की		291.21	42.91	334.12	
योग										**6515.04**	**1193.48**	**7708.52**	
तहसील का योग				**कुल ग्राम 105**						**27036.95**	**4861.30**	**31898.25**	

हल्का बंदी 2022–23 तहसील नांदघाट जिला – बेमेतरा

क्र.	तहसील का नाम	वर्तमान				प्रस्तावित				खाता क्षेत्रफल	गैर खाता क्षेत्रफल	योग क्षेत्रफल	विरान/डुबान/ मांड
		रा.नि.म.	मुख्यालय का नाम	आबाद ग्राम	वर्तमान प.ह.न	रा.नि.म.	मुख्यालय का नाम	आबाद ग्राम	प्रस्तावित प.ह.नं.				
1	2	3	4	6	5	3	4	6		7	8	9	10

तहसील नांदघाट रा.नि.मं. – सम्बलपुर जिला – बेमेतरा

1				चाकापेन्ड्रा				चाकापेन्ड्रा		168.05	29.43	197.48	
2			तेन्दुवा	तेन्दुवा	29		तेन्दुवा	तेन्दुवा	1	361.66	66.93	428.59	
3				बोटेबोड़				बोटेबोड़		376.70	60.37	437.07	
4				मुड़पार				मुड़पार		364.94	58.81	423.75	
5				जुनवानीकला				जुनवानीकला		313.79	32.29	346.08	
6			बेवरा	जुनवानीखुर्द	30		बेवरा	जुनवानीखुर्द	2	171.54	20.33	191.87	
7		संबलपुर		झिलगा		संबलपुर		झिलगा		423.49	84.07	507.56	
8				बेवरा				बेवरा		471.79	79.8	551.59	
9			खेड़ा	खेड़ा	27		खेड़ा	खेड़ा	3	587.91	120.70	708.61	
10				घोरहा				घोरहा		419.73	114.91	534.64	
11				अमोरा				अमोरा		471.85	136.97	608.82	
12			संबलपुर	केसतरा	28		संबलपुर	केसतरा	4	173.09	17.37	190.46	
13				पटनाकांपा				पटनाकांपा		240.91	39.17	280.08	
14				संबलपुर				संबलपुर		416.52	91.87	508.39	
योग										**4961.97**	**953.02**	**5914.99**	

तहसील नांदघाट रा.नि.मं. – बदनारा जिला – बेमेतरा

1				चमारी				चमारी		179.71	21.18	200.89	
2				बदनारा				बदनारा		550.98	98.19	649.17	
3			बदनारा	बोरदेही	25		बदनारा	बोरदेही	5	188.21	24.65	212.86	
4				मरदेही				मरदेही		136.97	26.84	163.81	
5				मुरैठी				मुरैठी		94.01	5.43	99.44	
6				केशला				केशला		207.33	61.88	269.21	
7				खपरी				खपरी		148.46	39.67	188.13	
8				घोघराली				घोघराली		202.05	52.37	254.42	
9			केशला	पिरैया	24		केशला	पिरैया	6	118.97	26.32	145.29	
10				बुचीपुर				बुचीपुर		145.50	23.93	169.43	
11				मदराली				मदराली		338.96	82.46	421.42	
12				सेनगांव				सेनगांव		30.25	8.85	39.1	
13				धोपघट्टी				धोपघट्टी		170.83	36.26	207.09	
14		बदनारा	धोपघट्टी	मगरघटा	43	बदनारा	धोपघट्टी	मगरघटा	7	518.74	98.85	617.59	
15				मल्दा				मल्दा		465.62	61.86	527.48	
16				कान्हरपुर				कान्हरपुर		124.58	11.59	136.17	
17				कातलबोड़				कातनबोड़		159.99	36.08	196.07	
18			कुंरा	कुंरा	42		कुंरा	कुंरा	8	735.30	94.52	829.82	
19				डगनिया				डगनिया		129.49	30.16	159.65	
20				पौसरी				पौसरी		252.95	37.21	290.16	
21				मिखमपुर				मिखमपुर		128.54	23.87	152.41	
22				करहीकांपा				करहीकांपा		75.29	14.50	89.79	
23				खपरी				खपरी		180.85	30.75	211.6	
24			मेंहना	गिधवा	26		मेहना	गिधवा	9	490.20	81.76	571.96	
25				मनोधरपुर				मनोधरपुर		109.92	12.00	121.92	
26				मेहना				मेहना		356.07	59.98	416.05	
27				रोहरा				रोहरा		70.67	13.23	83.9	
योग										**6310.44**	**1114.39**	**7424.83**	

तहसील नांदघाट रा.नि.मं. – मारो जिला – बेमेतरा														
1		मारो	पुटपुरा	बुदेला	49	मारो	पुटपुरा	बुदेला	10	370.00	47.09	417.09		
2				पुटपुरा				पुटपुरा		531.4	116.78	648.18		
3				सोनपुरी				सोनपुरी		88.93	17.25	106.18		
4			परसदा	परसदा	31		परसदा	परसदा	11	476.7	116.22	592.92		
5				बिनैका				बिनैका		195.58	57.66	253.24		
6				बुदेली				बुदेली		287.17	34.24	321.41		
7				लालपुर				लालपुर		197.52	63.88	261.40		
8			मारो	चकवाय	32		मारो	चकवाय	12	348.00	41.69	389.69		
9				मारो				मारो		1221.04	144.25	1365.29		
10				दोहत्रा				दोहत्रा		322.73	82.43	405.16		
11			झूलना	झूलना	33		झूलना	झूलना	13	346.91	60.19	407.10		
12				मिलौनी				मिलौनी		495.38	74.44	569.82		
13			नारायणपुर	दर्री	35		नारायणपुर	दर्री	14	257.68	39.98	297.66		
14				नारायणपुर				नारायणपुर		438.07	82.11	520.18		
15				मनोधरपुर				मनोधरपुर		214.51	15.85	230.36		
16				मोहलाईन				मोहलाईन		213.68	46.02	259.7		
योग										**6005.30**	**1040.08**	**7045.38**		
तहसील नांदघाट रा.नि.मं. – नांदघाट जिला – बेमेतरा														
1		नांदघाट	गुंजेरा	एरमशाही	34	नांदघाट	गुंजेरा	एरमशाही	15	422.32	145.29	567.61		
2				गुंजेरा				गुंजेरा		370.42	47.13	417.55		
3				मोपसरा				मोपसरा		351.56	59.64	411.2		
4			नगधा	इटई	41		नगधा	इटई	16	225.78	35.79	261.57		
5				डाबा				डाबा		178.62	37.87	216.49		
6				नगधा				नगधा		409.2	127.42	536.62		
7				मुरकुटा				मुरकुटा		377.41	85.5	462.91		
8			सेमरिया	अकार	40		सेमरिया	अकार	17	245.52	52.46	297.98		
9				मुर्रा				मुर्रा		323.94	53.21	377.15		
10				सेमरिया				सेमरिया		199.19	40.02	239.21		
11			तरपोंगी	तरपोंगी	44		नांदघाट	तरपोंगी	18	445.11	141.53	586.64		
12				नांदघाट				नांदघाट		212.8	106.78	319.58		
13				खपरी				खपरी		224.79	43.39	268.18		
14			अकोली	अकोली	39		अकोली	अकोली	19	202.04	67.17	269.21		
15				करमसेन				करमसेन		240.28	115.62	355.9		
16				किरता				किरता		259.22	93.81	353.03		
17				खैरा				खैरा		217.98	42.18	260.16		
18			धुरसेना	धुरसेना	38		धुरसेना	धुरसेना	20	738.72	117.89	856.61		
19				चिचोली				चिचोली		353.75	70.36	424.11		
20			टेमरी	टेमरी	37		टेमरी	टेमरी	21	767.54	141.05	908.59		
21				टोहड़ी				टोहड़ी		344.83	146.70	491.53		
22			अमलडीहा	अमलडीहा	36		अमलडीहा	अमलडीहा	22	360.70	138.11	498.81		
23				तेंदुभाठा				तेंदुभाठा		106.10	18.68	124.78		
24				दुधिया				दुधिया		149.39	21.04	170.43		
25				नवागांव				नवागांव		215.00	33.19	248.19		
26				लोहड़गिया				लोहड़गिया		197.57	88.22	285.79		
योग										**8139.78**	**2070.05**	**10209.83**		
तहसील का योग				**कुल ग्राम** 83						**25417.49**	**5177.54**	**30595.03**		

भोसकर विलास संदीपान,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th May 2022

No. 911/Confdl./2022/II-3-14/2000 (Part-IV).—On the application of Shri Dular Singh, the then II Civil Judge Class-I, Ambikapur presently posted as Civil Judge Class-I, Ambagarh-Chowki, District-Rajnandgaon, he is hereby, permitted to change his name as "Shri Dular Singh Nirmalkar" in place of "Shri Dular Singh" in his service records. It is directed that necessary changes be affected in all his records.

Bilaspur, the 17th June 2022

No. 930/Confdl./2022/II-3-14/2000 (Part-IV).—On the application of Smt. Shradha Singh, the then IV Civil Judge Class-II, Bastar at Jagdalpur presently posted as Civil Judge Class-II, Sakti, District-Janjgir-Champa, she is hereby, permitted to change her name as "Smt. Shradha Singh Shrivastava" in place of "Smt. Shradha Singh" in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 28th June 2022

No. 961/Confdl./2022/II-3-14/2000 (Part-IV).— On the application of Ku. Reshma Bairagi, Secretary, District Legal Services Authority, Balrampur at Ramanujganj, she is hereby, permitted to change her name as "Smt. Reshma Bairagi Patel" in place of "Ku. Reshma Bairagi" and to incorporate the name of her husband Shri Ashok Kumar Patel in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By the order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.